बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
अधिसूचना
पटना–15, दिनांक : 22-05-2014

संख्या–भा० स्था० (02)–02/07 : 1446 /प०व०, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना सा0का0नि0–67 (अ), दिनांक 28.01.2014 के द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियमावली, 2014 अधिसूचित किया गया है। उक्त संशोधन नियमावली के द्वारा नियम–7 में किये गये प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार नियम–7 (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूची में निरूपित सिविल सेवा बोर्ड का गठन अगले आदेश तक निम्नवत् करती है:–

(i)	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
(ii)	विकास आयुक्त, बिहार	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार	सदस्य सचिव
(iv)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार	सदस्य
(v)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना	सदस्य

2. कार्यकरण

(i) सिविल सेवा बोर्ड संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों (पदस्थापन/स्थानांतरण) हेतु सिफारिशे करेंगी।

(ii) सिविल सेवा बोर्ड भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम–7 के उप नियम (3) के तहत् संवर्गीय पद पर नियुक्त संवर्ग पदाधिकारी के लिए निर्धारित कम से कम दो वर्षों का कार्यकाल तथा उप नियम (4) के तहत् गैर संवर्गीय पद पर नियुक्त संवर्ग पदाधिकारी के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तीन वर्षों का कार्यकाल के पूरा होने से पहले स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित पदाधिकारियों के मामलों की जाँच करेगी।

(iii) सिविल सेवा बोर्ड भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम–7 के उप नियम (3) और (4) के तहत् यथानिर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण पर उन अपेक्षित परिस्थितियों के आधार पर विचार करेगी जिन्हें सिविल सेवा बोर्ड उचित समझता है।

(iv) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किये जाने वाले पदाधिकारियों का नाम लिखित रूप में रिकार्ड किये जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगी।

3. प्रक्रिया

(क) सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी पदाधिकारी के स्थानांतरण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगी।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड

(i) अन्य विश्वस्त स्त्रोतो से उसको प्राप्त अन्य निविष्टियों सहित प्रशासनिक विभाग (पर्यावरण एवं वन) की रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(ii) बोर्ड के पास स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रस्तावित पदाधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी।

(iii) समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानांतरण की सिफारिश नहीं करेगी।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण हेतु अनुशंसित पदाधिकारियों का स्पष्ट विवरण और उसके कारणों सहित द्वारा उचित समझे गये प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(वीरेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : भा० स्था० (02)–02/07 - 1446 /प०व० **पटना–15, दिनांक** : 22-05-2014

प्रतिलिपि : उप सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध हैकि गजट की 100 प्रतियाँ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(वीरेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : भा० स्था० (02)–02/07 - 1446 /प०व० **पटना–15, दिनांक** : 22-05-2014.

प्रतिलिपि : मो० मोनिरूज्ज मान, उप सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय मुख्यंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/14

(वीरेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

o/c